न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 69 / 2020

जी.सी.एम.एस. : 2020 / 00318

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
गोविन्दराम पुत्र हंसराज जाति माली निवासी सूर्य नगर, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)		1. तहसीलदार भूमिधारी मारवाड़ जंक्शन तहसील कार्यालय मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.) 2. नरेशचन्द पुत्र टीकमचन्द जाति मेघवाल निवासी माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.) 3. रामसिंह पुत्र मिठुसिंह जाति रावत निवासी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल परिहार
अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्रसिंह

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.01.2021

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन में विचाराधीन प्रकरण संख्या 11 / 2020 बअनवान गोविन्दराम बनाम रामसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कराने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय पैरावार टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष उसने एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया, जो प्रकरण संख्या 11 / 2020 बअनवान गोविन्दराम बनाम रामसिंह वगैरा के दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में उसे पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन) से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है, अतः प्रकरण किसी अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरित किया [illegible] तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन एवं उपपंजीयक मारवाड़ जंक्शन दो[illegible] अधिकारी के पास ही है। जैर प्रार्थना पत्र से संबंधित विवादित भूमि के संबंध में पीठासीन अधिकारी को जानकारी होने के बावजूद भी कि[illegible]यारनामा के आधार लोकनीति के विरूद्ध जाते हुए नरेश कुमार के पक्ष में बेचाणनामा पंजीबद्ध किया, जिसका नामान्तरकरण चवाड़िया पटवारी ने ना.स. 440 / 2020 दर्ज किया। जिसके संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.01.28 11:37:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण संख्या 11/2020 पीठासीन अधिकारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के न्यायालय मे विचाराधीन है, जिसमें उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 11/2020 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के पीठासीन अधिकारी श्री पीरूलाल जीनगर, नायब तहसीलदार से पीड़ित होकर अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने बाबत पेश किया था। श्री पीरूलाल जीनगर, नायब तहसीलदार, जिनके पास तहसीलदार का पद रिक्त होने से अपने पद के साथ तहसीलदार के पद का प्रभार भी था, उनका स्थानान्तरण हो चूका है तथा उनके स्थान पर श्री ओम अमृत नायब तहसीलदार पदस्थापित हुए है। वर्तमान में मारवाड़ जंक्शन में तहसीलदार का पद रिक्त होने से तहसीलदार का प्रभार नायब तहसीलदार श्री ओम अमृत के पास ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य हो जाने से खारिज फरमावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 30.09.2020 को पेश किया, उस वक्त तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन का पद रिक्त होने से श्री पीरूलाल जीनगर, नायब तहसीलदार के पास अतिरिक्त प्रभार था। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री पीरूलाल जीनगर से न्याय की उम्मीद नहीं होने से जैर प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 11/2020 को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कराने का निवेदन किया था। वर्तमान में श्री पीरूलाल जीनगर, नायब तहसीलदार का स्थानान्तरण अन्य स्थान पर हो चूका है तथा उनके स्थान पर श्री ओम अमृत, नायब तहसीलदार का पदस्थापन हुआ है, जिनके पास तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन का पद रिक्त होने से नायब तहसीलदार के साथ तहसीलदार के पद का भी अतिरिक्त प्रभार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को जिस पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनका स्थानान्तरण हो गया है तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी से जैर प्रार्थना पत्र में वर्णित किसी प्रकार की शिकायत नहीं रह जाती है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यविहीन हो जाने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को निर्णय की प्रति के साथ उनकी मूल पत्रावली भिजवाई जावे।

13.1.21

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.01.28 11:37:34 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली